राजस्थान सत्यमेव जयते सरकार

कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, अजमेर

पंजीयन प्रमाण-पत्र

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्न वर्णित सार्वजनिक प्रन्यास, राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 (1959 का 42) के अधीन सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, अजमेर के कार्यालय में आज के दिन यथावत पंजीकृत कर लिया गया है।

सार्वजनिक प्रन्यास का नाम ...श्री देवनारायण मंदिर ट्रस्ट मेंगरखेड़ा अजमेर...

सार्वजनिक प्रन्यास के रजिस्टर में पंजीयन संख्या ...05/अजमेर/2023...

प्रमाण-पत्र ...अध्यक्ष... पदनाम ...–... को जारी किया गया।

मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक ...15... माह ...03... सन् 20...23... को दिया गया।

(हस्ताक्षर)
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
अजमेर

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
अजमेर खण्ड, अजमेर

गोल मोहर

कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, अजमेर खण्ड, अजमेर

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	श्री गिरीश कुमार बचानी
पद नाम	:	सहायक आयुक्त
प्रकरण संख्या	:	67 / अजमेर / 2022
निर्णय दिनांक	:	15.03.2023

श्री देवनारायण मंदिर ट्रस्ट भैरूखेडा अजमेर के राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अंतर्गत पंजीयन बाबत।

–: निर्णय :–

पत्रावली प्रस्तुत हुई। श्री लक्ष्मण सिंह रावत अध्यक्ष श्री देवनारायण मंदिर ट्रस्ट भैरूखेडा अजमेर द्वारा प्रपत्र संख्या–6 भरकर प्रस्तुत किया गया। प्रपत्र–6 के साथ प्रन्यास विधान, कार्यकारिणी की सूची, मीटींग रजिस्टर दिनांक 18.03.2022,01.07.2022,01.09.2022 की फोटो प्रति वर्ष 2019–20,2020–21,2021–22 का आय–व्यय का ब्यौरा,अन्नाप्रति प्रमाण पत्र, मंदिर परिसर का ब्लू प्रिन्ट नक्शा,जमाबन्दी आदि दस्तावेज पेश किये। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर हर आम व खास को व्यापक जानकारी हेतु राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के तहत उज्रदारी नोटिस दिनांक 11.11.2022 को जारी किए गए। उज्रदारी नोटिस की एक प्रति प्रन्यास सम्पदा पर एवं एक प्रति सार्वजनिक स्थान पर चस्पा हेतु तहसीलदार मसूदा को भेजी गई। एक प्रति कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई। एक प्रति श्री लक्ष्मण सिंह रावत अध्यक्ष को वास्ते स्थानीय प्रचलित दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ दी गई। जिसका प्रकाशन दैनिक नवज्योति के अजमेर संस्करण में दिनांक 20.11.. 2022 को कराया गया। जिसकी प्रति पत्रावली में मौजूद है। अन्दर मियाद किसी की भी ओर से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने से एक तरफा जाँच कार्यवाही आरम्भ की गई।

प्रन्यास की ओर से दिनांक 20.02.2023 श्री लक्ष्मण सिंह रावत अध्यक्ष एवं शिवराज सिंह रावत सचिव की साक्ष्य दर्ज की गई एवं उनके द्वारा अपने बयानों की पुष्टि में निम्न दस्तावेज प्रदर्शित कराऐ :–

1. प्रपत्र संख्या–6	प्रदर्श–1
2. ग्राम पंचायत का अन्नाप्रति प्रमाण पत्र	प्रदर्श–2
3. गत तीन वर्षो का आय–व्यय ब्यौरा	प्रदर्श–3,4,5
4. चल सम्पति का विवरण	प्रदर्श–6

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
अजमेर खण्ड, अजमेर

5. प्रन्यास की ट्रस्ट डीड विधान — प्रदर्श–7
6. प्रन्यास की मिटींग दिनांक 18.03.2022,01.07.2022,01.09.2022 — प्रदर्श–8,9,10 ए
7. प्रन्यास के प्रन्यासियों की सूची — प्रदर्श–11
8. दैनिक नवज्योति समाचार पत्र दिनांक 14.05.2022 — प्रदर्श–12

पत्रावली मे तहसीलदार मसूदा जिला अजमेर से मौका रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार मसूदा ने दिनांक 14.03.2023 को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार ग्राम भेरूखेडा के देवनारायण मंदिर की सेवा पूजा अर्चना श्री लक्ष्मण सिंह रावत द्वारा की जा रही व प्रबंधन भैरूखेडा ग्रामवासियों द्वारा किया जाता है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र –6 को स्वीकार किया जाकर राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अन्तर्गत प्रन्यास पंजीयन करने का आदेश देता हूँ।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, साक्ष्य एवं बहस सुनने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि :–

1. श्री देवनारायण मंदिर ट्रस्ट भैरूखेडा अजमेर राजस्थान वास्तव में लोक न्यास होकर अस्तित्व में है।
2. इस प्रन्यास की समस्त विषय वस्तु अजमेर जिले में होने के कारण इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में है।
3. **अचल सम्पति** : इस प्रन्यास मंदिर की सम्पदा मंदिर या प्रन्यास के नाम होने के कोई प्रमाणिक दस्तावेज प्रन्यास द्वारा प्रस्तुत नहीं होने के कारण सम्पदा को प्रन्यास की सम्पदा के रूप में दर्ज किया जाना संभव नहीं है, अतः प्रन्यास प्रबंधन की सीमा तक प्रन्यास का गठन स्वीकार किया जाता है।
4. **चल सम्पत्ति** : इस प्रन्यास की चल सम्पति प्रदर्श–4 के अनुसार है।
5. इस प्रन्यास की कार्यकारिणी के पदाधिकारी प्रदर्श–11 के अनुसार निम्नवत है :–

1.	श्री लक्ष्मण सिंह रावत	अध्यक्ष
2.	श्री राजेन्द्र सिंह	उपाध्यक्ष
3.	श्री शिवराज सिंह रावत	सचिव
4.	श्री पूजा रावत	कोषाध्यक्ष
5.	श्री अशोक सिंह	सदस्य
6.	श्री सांवर सिंह	सदस्य
7.	श्री कालू लाल भाट	सदस्य
8.	बाल मुकन्द सिंह	सदस्य
9.	श्रीमति रूकमा देवी	सदस्य
10.	श्री राजवीर सिंह	सदस्य

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
अजमेर खण्ड, अजमेर

6. **ट्रस्ट का उत्तराधिकार का तरीका** :– प्रन्यास विधान मे साधारण सभा का प्रावधान किया गया है जिसको कार्यकारिणी चयन सहित प्रन्यास संचालन,नियम निर्माण के संबंध मे विस्तृत अधिकार दिये गये है। प्रन्यास की कार्यकारिणी का निर्वाचन 5 वर्ष की अवधि हेतु साधारण सभा के द्वारा किये जाने का प्रावधान है कार्यकारिणी के निर्वाचन एवं नियत्रण संबधित प्रावधान प्रन्यास विधान 15,16 व 17 मे दिये गये है।

7. **इस प्रन्यास के मुख्य उद्देश्यः**– प्रन्यास के प्रमुख उद्देश्य मंदिर का नवनिर्माण व विकास करना, अपराध मुक्त आत्मनिर्भर समाज बनाने हेतु प्रयास करना, बाल मजदूरी व बन्धुवा मजदूरी के विरूद्ध लोगो को जागरूक करना, वन्य जीवों की रक्षा व घायल पशु–पक्षियो की चिकित्सा, सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने हेतु जागरूकता लाना, शिक्षा का प्रसार, नशा प्रवृत्ति के विरूद्ध जनजागृति फैलाना, निर्धन छात्र–छात्राओं को शिक्षा प्राप्ति मे सहयोग करना आदि है, जिनका विस्तृत विवरण प्रन्यास विधान एवं प्रदर्श–7 के बिन्दु संख्या–6 में वर्णित है।

8. प्रन्यास की औसत वार्षिक सकल आय प्रपत्र संख्या–6 के अनुसार राशि 30000/– दर्शायी गयी है एवं व्यय भी इसी अनुपात में दर्शाया गया है।

समस्त दस्तावेजात, साक्ष्य एवं बहस का अवलोकन, अध्ययन एवं मनन करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ की श्री देवनारायण मंदिर ट्रस्ट भैरूखेडा अजमेर एक लोक न्यास है। इस प्रन्यास के वर्तमान में श्री लक्ष्मण सिंह रावत अध्यक्ष है। अतः इसका राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के तहत पंजीयन किए जाने का आदेश देता हूँ। पंजीयन प्रमाण पत्र अध्यक्ष पदनाम से जारी किया जाए। निर्णयानुसार प्रपत्र संख्या–1 रजिस्टर में प्रविष्टियाँ की जावे। निर्णय की एक प्रति कार्यालय नोटिस बोर्ड एवं एक प्रति प्रन्यास संपदा पर चस्पा की जावे। बाद तकमील आदेश मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
अजमेर खण्ड, अजमेर

निर्णय दिनांक 15.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
अजमेर खण्ड, अजमेर

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
अजमेर खण्ड, अजमेर